

# Order Sheet [Contd]

Case No 134 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-04-2017	<p>आवेदक / अभियुक्त महेन्द्र सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 339/16 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506 भा0दं0वि0 इजाफा धारा 326 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत एवं थाना गोहद से क्रोस अपराध क्रमांक 340/16 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506 भा0दं0वि0 की केश डायरी भी प्राप्त।</p> <p>आवेदक की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है, जबकि दिनांक 16.11.16 को आवेदक जब अपने सरसों के खेत में पानी दे रहा था उस समय फरियादी पक्ष के द्वारा एकराय होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फर्सा से लेश होकर आवेदक को गाली गलोज की और मारपीट की जिस पर से उनके विरुद्ध थाना गोहद में क्रोस केश पंजीबद्ध किया गया है। उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए यह झूठी रिपोर्ट आवेदक के विरुद्ध की गई है। जबकि आवेदक सीधा सादा व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वह दिनांक 01.04.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक / अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण में सहअभियुक्त गिराजसिंह व रामवरनसिंह को इसी न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है एवं सहअभियुक्त शैलेन्द्रसिंह व जगदीश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1628/17 एवं 1627/17 आदेश दिनांक 06.03.17 को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। वर्तमान आवेदक का अपराध जमानत पर मुक्त आरोपीगण के समान होने से समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक</p>	

वल दिया है कि सहआरोपीगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया है तथा कुछ आरोपीगण को इस न्यायालय से प्रतिभूति पर मुक्त किया जा चुका है। अतः आवेदक/ अभियुक्त को भी प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

जहाँ तक प्रकरण के सहआरोपी शैलेन्द्रसिंह एवं जगदीश सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के संबंध में है। उक्त दोनों आरोपीगण ने आहतगण के साथ डंडों एवं लात घूसों से मारीपट करने का आरोप है। साथ ही इस न्यायालय से जमानत पाए आरोपी रामवरन का संबंध है उस पर भी डंडा एवं लात घूसों से मारपीट का आरोप है, जबकि आवेदक/ अभियुक्त पर कुल्हाड़ी से मारपीट का आरोप है। आहत रामवरन एवं धर्मवीर को परीक्षण में धारदार वस्तुओं की चोटें आना पाई गई है। प्रकरण में अभी अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना शेष है।

अतः प्रकरण में आवेदक/ आरोपी को लगाए गए अपराध के स्वरूप एवं उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

प्रतिलिपि,

पुलिस थाना गोहद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)